9/2024

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की तामील रजिस्ट्री लिफाफा पुनः [illegible] अनुसार घर पर ताला लगा हुआ [illegible] अप्रार्थी सं. 1 की तकमील [illegible] तलबाना पुनः पेश करें। पत्रावली दि० 10/4/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

[illegible] पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब [illegible] कार्य में व्यस्त है। अतः [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 25/5/24 [illegible] हो।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/5/24 में पेश हो।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी वादी [illegible] दिनांक 23/2/2024 [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित [illegible] पेश करने हेतु [illegible] आवश्यक [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

फर्द अहकाम

रूरवसाना बनाम [illegible]

[illegible]ालय

[illegible]ा 9/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/7/24 को पेश हो।	
25/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] उपस्थित [illegible] रूरवसाना [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 26/7/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	[illegible]
26/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित [illegible] वकील वादी [illegible] का वाद [illegible] किया जाता है [illegible] शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 9/2024
निर्णय दिनांक : 26.07.2024

1. रूकसाना पत्नि श्री रसीद खां जाति मुसलमान निवासीः– बुढानियो की ढाणी ग्राम खो–नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।

प्रार्थी

बनाम

1. अनवर उर्फ अन्नू पुत्र श्री शाहबुद्धिन खां जाति मुसलमान निवासीः ढुढ़ानियो की ढाणी ग्राम खो–नागोरिथान तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।
2. राजस्थान सरकार जयये तालदार ताल सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा एवं सीमा निर्धारण, पत्थरगढी अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

वादिया की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीया की ग्राम खो–नागोरियान भू.अभि.नि. लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज० में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नं 4730/3018 रकबा 0.12 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान मे उक्त खसरा नं. मे हिस्सा 1/2 वादीया के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसमे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा व सीमाऐ ही इस वाद पत्र में वादग्रस्त है। जभावन्दी वर्ष 2067–2070 में खसरा नं. 4730/3018 रकबा 0. 12 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र वादीया को दिनांक 23 अगस्त 2010 को विकय कर मौके पर काबिज करा दिया है जिस पर वादीया काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। कि प्रत्तिवादी संख्या द्वारा वादीया के हक में कराये उक्त विकय पत्र दिनांकित 23.08.2010 का पंजीयन उपपंजीयक जयपुर षष्टम के यहां दिनांक 23.08.2010 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 77 ने पृष्ठ संख्या 3 कम संख्या 2010396002969 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 305 के पृष्ठ संख्या 27 से 37 पर चस्पा किया गया है। उक्त विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1122 मे प्रविष्ट करते समय राजस्व अधिकारियो द्वारा त्रुटिवश प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज होना चाहिए था तथा सम्पूर्ण हिस्सा ही जमाबन्दी में दर्ज था उसी त्रुटिवश नामान्तरण मे वादीया का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया जबकि प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा विकय किया गया था एवं उसी का विकय पत्र पंजीबद्ध करया जाकर मौके पर वादीया को काबिज कराया गया था जिस पर वादीया आज भी बहैसियत स्वामी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। उक्त त्रुटि के कारण ही नामान्तरकरण से जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय भी वादिया का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 में कर दिया गया जो कि पूर्णतया गलत एवं रजिस्टेड विक्रय पत्र के विपरीत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादिया ने दिनांक 08/01/2024 को के सी सी के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि ख.न. 4730/3018 रकबा 0.12 है में वादिया के सम्पूर्ण हिस्से के बजाय 1/2 हिस्सा ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर वादिया ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई कि नामान्तरकरण प्रविष्टि के समय प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

र दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या । द्वारा सम्पूर्ण भूमि ही वादिया को विक्रय कर दी ई थी। वादिया ने दिनांक 10/01/2023 को प्रतिवादी संख्या एक से उक्त त्रुटि को रूस्त कराने हेतु बात की तो प्रतिवादी संख्या एक ने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि उसने वादिया के हक में रजिस्टड विक्रय पत्र करा कर मौके पर काबिज करा दिया ा अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या एक की इंकारी के कारण वादिया के लिए यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। वादिया ने उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि रिये रजिस्टर्ड विक्रय क्रय की है तथा उस पर काविज है इसलिए वादिया अधिकारी है के माननीय न्यायालय से इस आशय की घोषणा करवा लेवे कि वादिया ख. नं. 73/3018 रकबा 0.12 है ग्राम खो–नागोरियान तहसील सॉगानेर के हिस्सा सम्पूर्ण की ातेदार मालिक स्वामी है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से ाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त सम्पत्ति के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की ाधा कारित नहीं करे ती वादीया की वादग्रस्त सम्पत्ति का सीमा निर्धारण कर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें एवं उसी अनुरूप इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। वादकारण दिनांक 08/01/2024 को जमाबन्दी की नकल से जानकारी होने एवं दिनांक 10/01/2024 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रजिस्ट्री अनुसार दुरूस्त कराने से इंकार करने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अनुतोष :– वादिया का वाद निम्न अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादिया को वाके ग्राम खो–नागोरियान भू. अभि. नि. लुनियावास तह. सांगानेर के ख.नं. क्षेत्र 4730/3016 रकबा 0.12 हैक्टेयर हिस्सा सम्पूर्ण की मालिक व स्वामी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुरूप इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा वादग्रस्त सम्पत्ति का सीमा निर्धारण कर स्थाई सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 बाद तामिल अनुपस्थित होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष बयान लेखबद्ध कराये गये। वादी द्वारा प्रदर्श 1– जमाबन्दी सम्वत् 2067–70, प्रदर्श 2–जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 3, 4 व 5– जमाबन्दी, प्रदर्श 6– रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रदर्श 7 नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 01.09.2010 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत कर प्रर्दशित कराई गयी। वादी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वादी वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया। वादी द्वारा कथन किया कि उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से उसके खाते में दर्ज सम्पूर्ण खसरा भूमि खसरा नम्बर 4730/3018 रकबा 0.12 सम्पूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2010 को क्रय किया है परन्तु नामान्तरण संख्या 122 में प्रविष्ठि करते समय सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज समझते हुये वादी का नामान्तकरण तस्दीक करते हुये उसका हिस्सा खसरा नम्बर 4730/3018 में 1/2 दर्ज कर दिया गया। जबकि उससे पूर्व की जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 4730/3018 रकबा 0.12 हैक्टेयर सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज था। ऐसे में नामान्तकरण के समय त्रुटिवंश वादी का हिस्सा सम्पूर्ण की बजाय 1/2 दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त करने की इस्तदुआ की।

बहस वादी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 का खाता संख्या 117 में खसरा नम्बर 4730/3018 रकबा 0.12 हैक्टेयर की खातेदारी सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जिसके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2010 द्वारा वादी को विक्रय किया है परन्तु नामान्तरण संख्या 122 में प्रविष्ठि करते समय सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज समझते हुये वादी का नामान्तकरण तस्दीक करते हुये उसका हिस्सा खसरा नम्बर 4730/3018 में 1/2 दर्ज कर दिया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 4730/3018 रकबा 0.12 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

स्थित ग्राम खोनागोरियान तह० सांगानेर में हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री जारी हो एवं पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/24 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्त सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 9/2024

1. रूकसाना पत्नि श्री रसीद खां जाति मुसलमान निवासी:– बुढानियो की ढाणी ग्राम खो–नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।

प्रार्थी

बनाम

1. अनवर उर्फ अन्नू पुत्र श्री शाहबुद्धिन खां जाति मुसलमान निवासी: ढुढानियो की ढाणी ग्राम खो–नागोरिथान तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।
2. राजस्थान सरकार जयये तालदार ताल सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा एवं सीमा निर्धारण, पत्थरगढ़ी अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादिया मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके कि वादी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 4730/3018 रकबा 0.12 हैक्टेयर स्थित ग्राम खोनागोरियान तह० सांगानेर में हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-07-2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested